:– अति0 जिला कलक्टर, कोटपूतली

सरकार बनाम मेहरचन्द पुत्र बिहारी आदि

5 / 2014

रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र

क आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
/6/2017	पत्रावली पेश हुयी । प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार एवं उसके अन्य कोई प्रतिनिधि आज नियत तिथि को उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 2 रामनाथ व अप्रार्थी संख्या 3 बाबूलाल भी उपस्थित नहीं आये। बार बार रूक रूककर आवाजे लगवाई जाने के उपरान्त भी कोई हाजिर अदालत नहीं आये। अतः अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। चूंकि प्रार्थी की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रकरण का मैरिट के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझा गया। पत्रावली का शुरू से अन्त तक अध्ययन किया गया तो जाहिर हुआ कि प्रार्थी की ओर से एक रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत ग्राम पनियाला तहसील कोटपूतली स्थित हाल आराजी खसरा नम्बर 454 / 0.20 हैक्टर जो साबिक आराजी खसरा नम्बर 364 किस्म भूमि जोहड़ से बनना जाहिर करते हुए उक्त जोहड़ की भूमि को अप्रार्थीगण के नाम अलाटमेन्ट करने तथा 3 इसकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम कानूनन गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने से व्यथित होकर उक्त आराजीयात की खातेदारी में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर उक्त सम्पूर्ण विवादित आराजात को पुनः राजकीय जोहड़ दर्ज करवाने के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र संख्या 222 / 2006 बउनवानी सरकार बनाम मेहरचन्द वगैरा में दिनांक 22 / 12 / 2008 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, कोटपूतली को आदेश दिये गये कि वह समय समय पर ऐसे समस्त परिवर्तनों के रिकॉर्ड दस्तावेजात के साथ राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने की स्वीकृति के लिए नियमानुसार रेफरेन्स नियमानुसार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को वास्ते स्वीकृति भेजे। परन्तु प्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार कोटपूतली द्वारा न्यायालय के आदेश की अक्षरतः अनुपालना सुनिश्चित नहीं करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में हुए समस्त परिवर्तनों के आदेशों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं करके आधा अधूरे अपूर्ण रेफरेन्स	

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत कर दिया। उक्त रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र संख्या 5707/2010 जयपुर बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम मेहरचन्द वगैरा में दिनांक 5/6/2014 को निर्णय पारित कर हस्तगत रेफरेन्स को अपूर्ण होने के कारण अस्वीकार किया जाकर प्रकरण वापिस न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ लौटाया कि प्रकरण का पुनः परीक्षण करावें ओर वर्तमान जमाबन्दी के अंकन मूलतः जिस आवंटन आदेश से सृजित हुए है, उक्त आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर नये सिरे से रेफरेन्स पेश करने के लिए स्वतन्त्र है। उक्त निर्णय की प्रति प्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार, कोटपूतली को भी सीधे ही प्रेषित की गई। इस पर प्रकरण वापिस प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर पक्षकारान की सुनवाई के लिए नोटिस जारी किये गये। इस पर प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा दिनांक 4/5/15 को अप्रार्थी संख्या 2 रामनाथ व अप्रार्थी संख्या 3 बाबूलाल स्वयं उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या एक के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 4 की प्रोपर तामील नहीं होने से उनकी तामील हेतु पुनः सम्मन तल्बाना पेश करने तथा अप्रार्थी संख्या 5 की फौतगी की तामील रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने के लिए उनकी सूची पेश करने एवं माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के हस्तगत प्रकरण में पारित किये गये निर्णय दिनांक 5/6/2014 में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में विवादित भूमि किस आदेश से राजस्व रिकॉर्ड में तब्दील हुई ओर दीगर व्यक्तियों/अप्रार्थीगण के नाम किस आदेश से खातेदारी स्वीकार हुई उक्त आदेशों की सत्य प्रतियां आवश्यक रूप से न्यायालय में पेश करने की तहसीलदार, कोटपूतली को हिदायत दी गयी। परन्तु बार–बार लगातार अवसर प्रदान करने तथा दिनांक 14/12/2016 को प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कोटपूतली) को गत आदेशानुसार शेष अप्रार्थीगण की तल्बी हेतु सम्मन तल्बाना व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5/6/2014 की अनुपालना में रिकॉर्ड दस्तावेजात पेश नहीं किये जाने पर अन्तिम अवसर प्रदान कर आवश्यक रूप से पेश करने की व्यक्तिशः सख्त हिदायत दी गई। इसके उपरान्त भी बार–बार 13 तारीखें नियत की जाकर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के पश्चात् भी आदिनांक पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, कोटपूतली) न्यायालयों के आदेशों की अनदेखी करके इसे कतैई गम्भीरता से नहीं लिया गया तथा नां ही राज्य सरकार के हितार्थ प्रश्नगत प्रकरण में अपने पक्ष को सिद्ध करवाने के लिए रिकॉर्ड दस्तावेजात पेश किये एवं ना ही प्रभावी हिदायत पैरवी सुनिश्चित की गई। इससे स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि प्रार्थी व उसके

पैरोकार सरकार प्रश्नगत प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से रिकॉर्ड दस्तावेजात से अपना पक्ष सिद्ध करवाने में पूर्णतया विफल रहे हैं तथा राज्य सरकार के हित में प्रभावी हिदायत पैरवी कर प्रकरण का निस्तारण करवाने में उनकी कोई रूचि नहीं है। इसलिए अब जब स्वयं पैरोकार सरकार ही अपने प्रकरण में अपना पक्ष सिद्ध करवाने में क्षीण मात्र भी गम्भीर एवं संवेदनशील नहीं है तो उक्त प्रकरण के अकारण ही चलाये जाने का कोई आशय नहीं है।

चूंकि हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी मुतवादिया में राज्य सरकार का हित निहित है। इसलिए माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा रेफरेन्स संख्या 5707/2010 जयपुर बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम मेहरचन्द वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 5/6/2014 के अनुसरण में हस्तगस्त रेफरेन्स के अपूर्ण होने तथा प्रार्थी की अदम हाजरी एवं हिदायत पैरवी के अभाव में अस्वीकार किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी के अंकन मूलतः जिस आवंटन आदेश से सृजित हुए है, उक्त मूल अलाटमेन्ट आदेश एवं नामान्तरकरण आदि को आक्षेपित करते हुए मय रिकॉर्ड दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों के साथ रेफरेन्स पूर्ण रूपेण तैयार करवाकर अधिकतम एक माह में पुनः नये सिरे से प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए खारिज किया जाता है। नियत समयावधि में न्यायालयों द्वारा प्रदान किये गये दिशा–निर्देशों एवं विधि प्रावधानों के अनुरूप नये सिरे से रेफरेन्स पूर्ण रूपेण तैयार कर मय रिकॉर्ड दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतियों के साथ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर, प्रार्थी लैण्ड होल्डर तहसीलदार एवं पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार) कोटपूतली की व्यक्तिगत जिम्मेवारी कायम की जाकर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर की सेवामें प्रस्तावित की जावें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 5/6/2014 की छाया प्रति सहित तहसीलदार, कोटपूतली को पालनार्थ अहकाम जारी हो तथा इसकी प्रतिलिपि श्रीमान निबन्धक महोदय, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जयपुर की सेवामें में निर्णय की प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/6/2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)